झारखण्ड सरकार
विधि (न्याय) विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, राँची–834004

आदेश संख्या–झा0–विधि–अभि0–स्वी0–13 / 2015– 21 / जे0 राँची, दिनांक–01 मई, 2015

–:: आदेश ::–

पेशकार
खूँटी
12/6/15

चूँकि, सचिव, विधि विभाग, को सम्बोधित जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची की संचिका संख्या–8 / ज0स0 (नि0)ग्रा0–08–06 / 2015 एवं उसमें उपलब्ध कागजात, प्राथमिकी, कांड–दैनिकी, पर्यवेक्षण–टिप्पणी, तथा अभिलेखों के परिशीलन के बाद राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि खूँटी थाना कांड संख्या–181 / 14 दिनांक–28.12.2014 के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, खूँटी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 के अधिनियम संख्या–45) की धारा–385, 504, 506, 468, एवं 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा–13(2) सहपठित धारा–13(1)(ए) के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए प्रथम द्रष्ट्या केस बनता है ;

और चूँकि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की अधिनियम संख्या–2) की धारा–197(1)(बी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा–19(1)(बी) के उपबंधों के अधीन कोई भी न्यायालय, किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध, जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध का, जो इसके द्वारा अपने पदीय–कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया अभिकथित हो, संज्ञान नहीं ले सकता है ;

और चूँकि, श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, खूँटी ऐसे लोक सेवक हैं, जो राज्य सरकार की मंजूरी पर ही सेवा से हटाये जा सकते हैं, और यह अभिकथित है कि उन्होंने यह अपराध अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया है;

और, अब, इसलिए राज्य सरकार एतद् द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 के अधिनियम संख्या–2) की धारा–197 (1)(बी) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भारतीय दंड संहिता (1860 के अधिनियम संख्या– 45) की धारा–385, 504, 506, 468, एवं 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा–19(1)(बी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा–13(2) सहपठित धारा–13(1)(ए) के उपबंधों के अधीन अपराधों के लिए उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(बी0 बी0 मंगलमूर्त्ति)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः–8 / ज.सं.(नि.)ग्रा.–08–06 / 15:– 2694 / राँची, दिनांकः– 03-06-15

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, खूँटी / पुलिस अधीक्षक, खूँटी / संयुक्त सचिव (प्र.) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / ~~टेब~~ मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.6.15
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।